



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
(Accredited by NAAC with Grade A+)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712



क्रं. 589/अका./वि.प./बैठक/2024,

बिलासपुर, दिनांक 17/05/2024

// अधिसूचना //

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद् की 46 वीं नियमित बैठक दिनांक 17/05/2024, दिन शुक्रवार प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 6 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह, — अध्यक्ष
कुलपति
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. संजय तिवारी, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
3. प्रो. आर.पी. दास, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति, कृष्णा कांत हांडिक (मुक्त) विश्वविद्यालय, गोहाटी।
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. संचालक, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
6. प्रो. सुबोध केशरवानी, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
7. प्रो. एच.एस. होता, — सदस्य
प्राध्यापक,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
8. प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी, — सदस्य
प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 9. | डॉ. बीना सिंह, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | डॉ. प्रकृति जेम्स,
सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 11. | डॉ. प्रीति रानी मिश्रा,
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 12. | डॉ. पुष्कर दुबे,
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 13. | श्री भुवन सिंह राज,
कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कोरम पूर्ण था। तत्पश्चात् सचिव के द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 40, 41, 42, 43, 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 40, 41, 42, 43, 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – सत्र 2022-23 के लिए AQAR का अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – सत्र 2022-23 के लिए AQAR का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – CIQA Cell

प्रस्ताव क्र. 03 – Provisions of UGC Regulations, 2020 regarding enrolment of foreign/international learners in Online Programmes संबंधी।

निर्णय – 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी 235 भारतीय संस्थानों की सूची में विश्वविद्यालय को शामिल किये जाने पर सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त किया गया।

2. CIQA Cell को इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आगामी विद्यापरिषद् की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही – CIQA Cell

BCL

Eyloby

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डल की संयुक्त बैठक तथा पृथक-पृथक बैठक के कार्य-वृत्त पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु Curriculum Credit Framework for UG Programme का अनुमोदन किया गया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों पर BoS के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
3. संशोधित पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रमों में SLM लेखन हेतु BoS के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
4. जुलाई 2024 सत्र के लिए SWAYAM द्वारा जारी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में लागू हेतु BoS के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
5. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु केवल जुलाई से जून सत्र में प्रवेश देने तथा जनवरी से दिसम्बर सत्र में प्रवेश न देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
6. अध्ययन मण्डल के पृथक-पृथक बैठकों में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक –1 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव में नई शिक्षा नीति 2020 के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक – 1 में संशोधन पर विचार किया गया। राज्य के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/05/2024 के द्वारा भेजे गये Four Years Undergraduate Programmes के Draft Ordinance को लागू करने पर सहमति बनी जिसे ODL System के अनुरूप UGC DEB के प्रावधानानुसार लागू करने हेतु प्रस्तावित संशोधन में निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित किया गया –

1. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : A-1 Admission को यथावत मान्य किया गया।
2. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : A-2 Lateral Entry/Credit Transfer को यथावत मान्य किया गया।
3. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : A-3 Multiple Entry and Exit Options in the Academic Programmes में कंडिका 3 के Level 8 के 6 वीं पंक्ति में Learner scoring more than 7.5 CGPA in Level 3 के स्थान पर “Learner scoring more than 7.5 CGPA in Level 7” त्रुटि सुधार किया जाय।

8427


Signature

4. Curriculum Credit Framework for UG Programme में निर्णय लिया गया की बिन्दु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में दिये प्रश्न पत्रों के नाम को अध्यादेश में न रखा जाय; इसके स्थान पर ".....Courses prescribed/proposed by BoS and approved by Academic Council" किया जाय।
5. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : C के भाग C-1: Conduct of Examination and Evaluation of Student Performance की कंडिका 5 Grading को राज्य शासन के Draft Ordinance के Appendix 3 के अनुसार संशोधित किया जाय।
6. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : E के भाग E-1.1.1: Bachelor Degree (B.A./B.Sc./B.Com./BBA में बिन्दु क्रमांक 11 के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित Draft Ordinance के बिन्दु क्रमांक 9. Promotion Rule, 10. Result Preparation, 11. Computation of SGPA, CGPA and Format of Transcript/ Mark sheet, 12. Conversion to Percentage, एवं 14. Removal of Difficulties को जोड़ा जाय।
7. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : E के भाग E-1.7: Bachelor of Education (Open)/(B.Ed.) के 3. Jurisdiction के भाग B में Maximum number of outside state candidates shall be up to 20 percent के स्थान पर Maximum number of outside state candidates shall be up to 20 percent of UR Candidates किया जाय।
8. अध्यादेश क्रमांक – 1 के Part : E के भाग E-4.1: Diploma in Elementary Education (Open) के 3. Admission Criteria के भाग B में Maximum number of outside state candidates shall be up to 20 percent के स्थान पर Maximum number of outside state candidates shall be up to 20 percent of UR Candidates किया जाय।
9. विद्यापरिषद् में यह भी निर्णय लिया गया की विश्वविद्यालय में राज्य शासन द्वारा प्रेषित Draft Ordinance के सभी प्रावधानों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश के UGC-DEB के Regulation व निर्देशों के अनुरूप समाहित किया गया है। तथापि वे अलग-अलग खण्डों में हैं। अतः राज्य शासन के Draft Ordinance के अनुरूप उसके सभी प्रावधानों को UGC-DEB Regulation एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार करने हेतु एक Ordinance Draft समिति का गठन किया गया जिसमें विद्यापरिषद् के सदस्य प्रो. एच. एस.होता तथा डॉ. प्रकृति जेम्स उसके सदस्य होंगे। समिति अपना Draft Ordinance तैयार कर 01 माह के अंदर प्रस्तुत करेगी।


कार्यवाही – अकादमी विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(युवम सिंह राज)
कुलसचिव / सचिव

अनुमोदन


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

पृ. क्रं. 590/अका./वि.प./बैठक/2024,
प्रतिलिपि -

विलासपुर, दिनांक 17 / 05 / 2024

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
 - 2.1 डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, आयुक्त के नामिनी, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.3 प्रो. संजय तिवारी, माननीय कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
 - 2.4 प्रो. आर.पी. दास, माननीय कुलपति, कृष्णा कांत हांडिक (मुक्त) विश्वविद्यालय, गोहाटी।
 - 2.5 प्रो. सुबोध केशरवानी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 2.6 प्रो. एच.एस. होता, प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय विलासपुर।
 - 2.7 प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 2.8 डॉ. बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.9 डॉ. प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.10 डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष ग्रंथालय एवं सूचना विभाग, PSSOU
 - 2.11 डॉ. पुष्कर दुबे, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रबंधन विभाग, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यापरिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव